

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक: ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/gen-1384-09084/2024/186

दिनांक: 15/4/2024

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 309 दिनांक 28.04.2020 एवं 310 दिनांक 28.04.2020, 929 दिनांक 05.10.2020 व 983 दिनांक 12.10.2020, 881 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	मसूद अख्तर नर्सिंग अधिकारी	टोंक	01.07.1990	06.10.2021 म.पश्चात्	-	06.10.2023	07.10.2023
02	शिवम विश्वास नर्सिंग अधिकारी	टोंक	28.02.1990	08.10.2021	-	07.10.2023	08.10.2023
03	रसाल चौधरी नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	28.09.1992	07.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
04	भरत लाल जाट नर्सिंग अधिकारी	टोंक	01.07.1980	06.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
05	पवन कुमार नर्सिंग अधिकारी	टोंक	15.09.1985	06.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022

नोट:- 1. उक्त कार्मिकों के द्वारा यदि परिवीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)06 Part-I दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

2. क्रम संख्या 03 से 05 पर अंकित कार्मिकों को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक का निकटतम कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ तथा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नगद परिलाभ देय होंगे। उक्त वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(सकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
6405065

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था10/जोन-अजमेर/gen-1384-09084/2024/ 186

दिनांक:- 15/4/2024

1. प्रतिलिपी भिन्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज,अजमेर।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान टॉक।
4. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
5. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
6405065

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :15-04-2024 11:01:48